Henry Ford
Henry Ford Genesys Hospital and Henry Ford Genesys Medical Group
Covered Providers

वित्तीय सहायता नीतत
7/1/2024

नीति/तिद्धां ि

इस पैराग्राफ के नीचे सूचीबद्ध संगठन (जिनमें से प्रत्येक "संगठन" है) की नीजि है जक वे संगठन के पररसर में आपाि‍कालीन और जचजकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल प्रदान करने हेि‍ु सामाजिक रूप से न्याय जचि काययप्रणाली सुजनजि‍ करेंगे। इस नीजि क खासिौर पर ऐसे मरीज़ की जवत्तीय सहायिा की पात्रिा क संब जि‍ करने के जलए बनाया गया है जिन्हें जवत्तीय सहायिा की आवश्यकिा ह और जिन्हें संगठन से देखभाल प्राप्त ह िी ह । यह नीजि Henry Ford Genesys Market माकेट के भीिर आने वाले जनम्नजलखखि प्रत्येक संगठन पर लागू ह िी है:

Henry Ford Genesys Hospital	Henry Ford Genesys Medical Group
Henry Ford Genesys Medical Group - PMI	Henry Ford Radiology and Imaging - Burton
Henry Ford Physical Rehabilitation – Fenton, Flint & Grand Blanc	

1. सारी जवत्तीय सहायिा व्यखिगि मानव गररमा और सबकी भलाई के प्रजि हमारी प्रजिबद्धिा और आदर, गरीबी में रहने वाले ल ग और अन्य कमि र व्यखिय के जलए हमारी जवशेष जचंि‍ा और एकिुटिा, और जविरणात्मक न्याय और नेिृत्व के प्रजि हमारी प्रजिबद्धिा क दशायएगी।

2. यह नीजि संगठन द्वारा प्रदत्त सभी आपाि‍कालीन और जचजकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल पर लागू ह िी है, जिसमें प्रयुि‍ जचजकत्सीय सेवाएं और व्यवहारात्मक स्वास्थ्य शाजमल है। यह नीजि गैर आपाि‍कालीन और जचजकत्सीय रूप से गैर आवश्यक अन्य देखभाल के शुल्क पर लागू नहीं ह िी।

3. जवत्तीय सहायिा नीजि द्वारा शाजमल जकए गए प्रदाि‍ा की सूची संगठन की सुजविाओं के भीिर देखभाल प्रदाि‍ाओं की एक सूची प्रदान करिी है ि‍ जक जनजदयष्ट करिी है जक जकन चीज़ क जवत्तीय सहायिा नीजि के द्वारा कवर जकया िािा है और जकन्हें नहीं।

परिभधषधएं

इस नीजि के प्रय िन के जलए, जनम्नजलखखि पररभाषाएं लागू ह िी हैं:

- "**501(r)**" का अर्थ आंिररक आय क ड की िारा (Internal Revenue Code) 501(r) और उसके अिीन प्रकाजशि जकए गए जनयम।
- आपाि‍कालीन और जचजकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल के संबंि‍ में "**आमिौर पि तिल की गई िधित**" या "**AGB**" का िात्पयय ऐसी देखभाल क कवर करने वाले बीमा वाले जकसी व्यखि क आमिौर पर जबल की गई राजश से है।

- "**िमुदधय**" का िात्पयय सामुदाजयक स्वास्थ्य आवश्यकिा आंकलन (Community Health Needs Assessment) में जनिायरिर भौग जलक सेवा क्षेत्र में रहने वाले मरीज़ से है, इसमें जनम्न शाजमल है:

Henry Ford Genesys Community Service Area by County			
Oakland	Genesee	Lapeer	Shiawassee

- मरीज़ क िब भी संगठन के समुदाय का सदस्य माना िाएगा, यजद मरीज़ क उसके जलए िरुरी आपाि‌कालीन और जचजकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल Henry Ford Health के अन्य स्वास्थ्य पररसर में उसे प्राप्त ह ने वाली आपािकालीन और जचजकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल की जनरन्तरिा में प्रदान की िा रही ह , िहााँ मरीज़ क इस प्रकार की आपािकालीन और जचजकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल के जलए जवत्तीय सहायिा हेिु पात्र माना गया ह ।
- "**आपधिकधलीन देखभधल**" का िात्पयय *पयायप्त गभंीरिा (जिसमें गभंीर वदेना शाजमल है) के िीव्र लक्षणं के रूप में प्रकट ऐसी जचजकत्सीय खथर्िि की देखभाल से है जिसका िुरंि इलाि ना जकए िाने पर उस व्यखि के शरीर के कायय क गभंीर नुकसान पहाँच सकिा है, उसके जकसी भी शारीररक अगं या भाग क गभंीर रूप से नुकसान ह सकिा है, या उस व्यखि के स्वास्थ्य क गभंीर खिरा ह सकिा है*।
- "**तितकत्सीय रूप िे आवश्यक देखभधल**" का िात्पयय ऐसी देखभाल से है ि (1) मरीज़ की खथर्िि के उपयुि और उसके सुसंगि ह और उसकी र कर्ाम, जनदान, या इलाि के जलए आवश्यक ह ;

  (2) मरीज़ की खथर्िि के जलए सबसे उजचि आपूजिय या सेवा का स्तर जिसे सुरजक्षि रूप से प्रदान जकया िा सके; (3) जिसे प्रार्जमक रूप से मरीज़, मरीज़ के पररवार, जचजकत्सक या देखभालकिाय की सुजविा के जलए प्रदान नहीं जकया गया ह ; और (4) जिससे मरीज़ क नुकसान की बिाय संभाजवि रूप से लाभ ही ह िा है। भजवष्य की जनिायरिर देखभाल क "जचजकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल" जनयि जकए

  िाने के जलए उस देखभाल को और देखभाल के समय क संगठन के मुख्य जचजकत्सा अजिकारी (या पदनाजमि व्यखि) द्वारा अनुम जदि जकया िाना चाजहए। जचजकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल का जनिायरण मरीज़ क जचजकत्सीय देखभाल प्रदान करने वाले लाइसेंसिारी प्रदािा द्वारा और, संगठन के स्वजववेक के आिार पर, भिी करने वाले जचजकत्सक द्वारा, रेफर करने वाले जचजकत्सक द्वारा,

  और/या मुख्य जचजकत्सा अजिकारी या समीक्षा करने वाले अन्य जचजकखत्सक द्वारा (सुझाई िा रही देखभाल के प्रकार के अनुसार) जकया िाना चाजहए। यजद उस देखभाल का जनवेदन इस नीजि द्वारा शाजमल जकए गए मरीज़ द्वारा जकया गया है, उसे जकसी समीक्षा करने वाले जचजकत्सक द्वारा जचजकत्सीय रूप से आवश्यक जनिायरिर नहीं जकया गया है, ि उस जनिायरण की पुजष्ट दाखखल करने वाले अर्वा रेफर करने वाले जचजकत्सक द्वारा की िानी आवश्यक है।
- "**िांगठन**" का िात्पयय Henry Ford Genesys की क्षेत्रीय पररसर और प्रदािाओं से है
- "**मीज़**" का िात्पयय ऐसे व्यखिय ं से हैं जिन्हें संगठन में आपािकालीन और जचजकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल प्राप्त ह रही ह और ऐसे व्यखिय ं से है ि मरीज़ की देखभाल के जलए जवत्तीय रूप से जिम्मेदार हैं।

प्रदत्त तवत्तीय िहधयिध

इस खंड में वजणयि जवत्तीय सहायिा समुदाय में रहने वाले मरीज़ िक सीजमि है:

1. इस जवत्तीय सहायिा नीजि के अन्य प्राविान के अिीन संघीय गरीबी स्तर आय ("FPL") के 250% से कम या इसके बराबर की आय वाले मरीज़ बीमाकिाय द्वारा भुगिान, यजद क ई ह , करने के बाद सेवाओं के स्वयं द्वारा भुगिान जकए िाने वाले बकाया शुल् के जलए 100% चैररटी के पात्र ह ंगे, यजद ऐसे मरीज़ क प्रकखिि स्क ररंग (जिसका वणयन नीचे पैराग्राफ 5 में जकया गया है) के अनुसार पात्र जनियररि जकया िाए या यजद वह मरीज़ के पहले जडथचाियि जबल के बाद 240वें जदन या इससे पहले जवत्तीय सहायिा आवेदन ("आवेदन") िमा करिा है और उस आवेदन क संगठन द्वारा अनुम जदि जकया िािा है। यजद मरीज़ उसके पहले जडथचाियि जबल के240वें जदन केबाद आवेदन
   िमा करिा है, ि मरीज़ अजिकिम 100% जवत्तीय सहायिा के जलए पात्र रहेगा, लेजकन िब इस श्रेणी में मरीज़ के जलए उपलब्ध जवत्तीय सहायिा की राजश मरीज़ द्वारा जकए गए जकसी भी भुगिान क समाय जिि करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया राजश िक ही सीजमि रहेगी। जवत्तीय सहायिा की इस श्रेणी केजलए पात्र मरीज़ से गणना जकए गए AGB शुल् से ज्यादा शुल् नहीं जलया िाएगा।

2. इस जवत्तीय सहायिा नीजि के अन्य प्राविान के अिीन FPL के 250% से ज्यादा लेजकन 400% से कम आय वाले मरीज़ क बीमाकिाय द्वारा भुगिान, यजद क ई ह , करने के बाद सेवाओं के स्वयं द्वारा भुगिान जकए िाने वाले बकाया शुल् के जलए स्लाइजडंग स्केल छूट जमलेगी, यजद वह मरीज़ के पहले जडथचाियि जबल के बाद 240वें जदन या इससे पहले आवेदन िमा करिा है और उस आवेदन क संगठन द्वारा अनुम जदि जकया िािा है। यजद मरीज़ उसके पहले जडथचाियि जबल के 240वें जदन के बाद आवेदन िमा करिा है, ि मरीज़ स्लाइजडंग स्केल छूट की जवत्तीय सहायिा के जलए पात्र रहेगा, लेजकन िब इस श्रेणी में मरीज़ के जलए उपलब्ध जवत्तीय सहायिा की राजश मरीज़ द्वारा जकए गए जकसी भी भुगिान क समाय जिि करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया राजश िक ही सीजमि रहेगी। जवत्तीय सहायिा की इस श्रेणी के जलए पात्र मरीज़ से गणना जकए गए AGB शुल् से ज्यादा शुल् नहीं जलया िाएगा। असेंशन जेनेससस अस्पताल

   251% FPL और 275% FPL केबीच केरोगियों को 95% सहायता प्राप्त होिी

   276% FPL और 300% FPL केबीच केरोगियों को 85% सहायता प्राप्त होिी

   301% FPL और 350% FPL केबीच केमरीजों को 80% सहायता समलेिी

   351% FPL और 375% FPL केबीच केमरीजों को 75% सहायता समलेिी

   376% FPL और 400% FPL केबीच केरोगियों को 67% सहायता प्राप्त होिी

3. इस वित्तीय सहायिा नीजि के अन्य प्राििधानों के अिीन FPL के 400% से ज्यादा आय वाला मरीज़, मरीज़ के कुल जचजकत्सीय क्व्यि के आिार पर संगठन से प्राप्त सेवाओं के जलए मरीज़ के शुल् में "िीवका साििन िांच" के अंिगयि कुछ छूट हेिु जवत्तीय सहायिा के जलए पात्र ह सकिा है। यजद मरीज़ का कुल जचजकत्सीय क्व्यि बहि ज्यादा ह , जिसमें आपाििकालीन और जचजकत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल हेिु Henry Ford Health और अन्य जकसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदािा

का जचजकत्सीय ऋण शाजमल है, ि जक मरीज़ के पररवार की सकल आय के बराबर या उससे अजिक ह , ि ऐसा मरीज़ िीजवका साि‍न ि‍ांच के बाद जवत्तीय सहायिा के जलए पात्र ह गा। िीजवका साि‍न ि‍ांच के बाद प्रदत्त जवत्तीय सहायिा का स्तर उपर ि पैराग्राफ 2 के अंिगयि FPL के 400 % की आय वाले मरीज़ क प्रदत्त सहायिा के बराबर है, यजद ऐसा मरीज़, मरीज़ के पहले जडथचाि‍य जबल के बाद 240वें जदन या इससे पहले आवेदन िमा करिा है और उस आवेदन क संगठन द्वारा अनुम जदि जकया िािा है। यजद मरीज़ उसके पहले जडथचाि‍य जबल के 240वें जदन के बाद आवेदन
िमा करिा है, ि मरीज़ िीजवका साि‍न छूट की जवत्तीय सहायिा के जलए पात्र रहेगा, लेजकन िब इस श्रेणी में मरीज़ के जलए उपलब्ध जवत्तीय सहायिा की राजश मरीज़ द्वारा जकए गए जकसी भी भुगिान क समाय जि करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया राजश िक ही सीजमि रहेगी। जवत्तीय सहायिा की इस श्रेणी के जलए पात्र मरीज़ से गणना जकए गए AGB शुल् से ज्यादा शुल् नहीं जलया िाएगा।

4. ऐसा संभव है जक मरीज़ उपर ि पैराग्राफ 1 से लेकर 3 में वजणयि जवत्तीय सहायिा के जलए पात्र ना ह , यजद "संपजत्त िांच" में जनिायररि ह जक मरीज़ के पास भुगिान करने के जलए पयायप्त संपजत्त है। संपजत्त िांच में FAP आवेदन में मापी गई संपजत्तय की श्रेजणय के आिार पर मरीज़ की भुगिान करने की क्षमिा का जवशेष रूप से आंकलन जकया िािा है। ऐसा मरीज़ जिसकी संपजत्तयां उसकी FPL राजश के 250% से ज्यादा ह , ि संभविः जवत्तीय सहायिा के जलए पात्र ना रहे।

5. जवत्तीय सहायिा के जलए पात्रिा रािस्व चक्र के दौरान जकसी भी समय जनिायररि की िा सकिी है और उसमें 100% चैररटी देखभाल जनिायररि करने के जलए मरीज़ के पहले जडथचाि‍य जबल के बाद पहले 240 जदन के भीिर पयायप्त बकाया राजश वाले मरीज़ के जलए प्रकजिि स्क रंग सखम्मजलि ह सकिी है, भले ही मरीज़ ने जवत्तीय सहायिा आवेदन ("FAP आवेदन") भरकर िमा ना जकया ह । यजद मरीज़ क FAP आवेदन भरकर िमा जकए जबना ही केवल प्रकजिि स्क रंग के आिार पर 100% चैररटी देखभाल प्रदान की गई ह , ि मरीज़ की जवत्तीय सहायिा की राजश की पात्रिा मरीज़ द्वारा जकए गए जकसी भी भुगिान क समाय जि करने के बाद मरीज़ के अदत्त बकाया राजश िक सीजमि रहेगी। प्रकजिि स्क रंग के आिार पर पात्रिा का जनिायरण केवल देखभाल के उन प्रसंग पर ही लागू ह िा है जिसके जलए प्रकजिि स्क रंग की गई ह ।

6. ऐसे मरीज़ के जलए, ि जनजिि बीमा प्लान में भाग लेिे हैं, ि संगठन क "नेटवकय -से-बाहर" माना
िािा है, संगठन जवत्तीय सहायिा क कम कर सकिा है अर्वा इससे इन्कार कर सकिा है, ि मरीज़ की बीमा िानकारी और अन्य उपयुि िथ्य और पररखथर्जिय की समीक्षा के आिार पर मरीज़ क अन्य प्रकार से उपलब्ध ह गी।

7. जवत्तीय सहायिा के जलए पात्र मरीज़ से <u>संभविः</u> $50 िक का नाममात्र का फ्लैट शुल् जलया िाए (नीचे जवत्तीय सहायिा सह-भुगिान िाजलका देखें)

स्िास्थ्य देखभाल सेिा का प्रकार	*FAP सह-भुगतान*
इनपेशेंट या आपातकालीन कक्ष देखभाल	*$50.00*
आउटपेशेंट सजजरी इलाज	*$25.00*
आउटपेशेंट नैदाननक सेिाएं	*$10.00*

8. मरीज़ अस्वीकरण की सूचना प्राप्त ह ने के चौदह (14) कैलेंडर जदन के भीिर संगठन

में अजिररि िानकारी प्रदान करके जवत्तीय सहायिा के जलए पात्रिा के जकसी भी अस्वीकरण के जवरुद्ध अपील कर सकिा है। अंजिम जनिायरण के जलए संगठन द्वारा सभी अपील की समीक्षा की िाएगी। यजद अंजिम जनणयय जवत्तीय सहायिा के जपछले अस्वीकरण क स्वीकार करिा है, ि मरीज़ क जलखिि सूचना भेिी िाएगी। मरीज़ और पररवार हेिु जवत्तीय सहायिा के जलए पात्रिा के संबंि में संगठन के जनणयय के जवरुद्ध अपील करने की प्रजक्रया इस प्रकार है:

a. अपील के जलए जनवेदन पत्र सभी FAP आंजशक अनुम दन और पात्रिा अस्वीकरण सूचना पत्र ं के साथ शाजमल जकया िािा है।
b. FAP पात्रिा जनिायरण पर पुनजवयचार का जनवेदन करने वाले मरीज़ क अपील के जलए जनवेदन पत्र क भरकर पत्र के नीचे सूचीबद्ध पिे पर डाक द्वारा भेिना/पहुँचाना ह गा।
c. सभी अपील ं पर संगठन की जवत्तीय सहायिा अपील्स कमेटी जवचार करेगी, और कमेटी का जनणयय अपील करने वाले मरीज़ या पररवार क जलखिि में भेिा िाएगा।

तवत्तीय िहधयिध के तलए योग्य न होने वधले मीज़ों के तलए अन्य िहधयिध

मरीज़ ि ऊपर वजणयि अनुसार, जवत्तीय सहायिा के जलए य ग्य नहीं हैं, वे संगठन द्वारा दी िाने वाली अन्य जकस्म की सहायिा के जलए य ग्य ह सकिे हैं। पूणयिा के जलए, सहायिा के इन अन्य प्रकार ं क यहाँ सूचीबद्ध जकया गया है, हालाँजक ये आवश्यकिा-आिाररि नहीं हैं और ये 501(r) के अिीन नहीं हैं, लेजकन इन्हें संगठन जिस समुदाय क सेवा प्रदान करिा है, उसकी सुजविा के जलए यहाँ शाजमल जकया गया है।

1. अबीमाकृि मरीज़ ि जवत्तीय सहायिा के जलए य ग्य नहीं हैं उन्हें उस संगठन के जलए अजिकिम भुगिान करने वाले के जलए प्रदान की िाने वाली छूट के आिार पर छूट प्रदान की िाएगी। अजिकिम भुगिान करने वाले क क्षमिा या सकल रािस्व द्वारा मापी गई संगठन की आबादी का कम से कम 3% ह ना चाजहए। अगर क ई एक भुगिानकिाय मात्रा के इस न्यूनिम स्तर पर नहीं पहुंचिा, ि एक से अजिक भुगिानकिायओं के अनुबंि ं का इस प्रकार औसि जलया िाना चाजहए जक भुगिान की अवजि जिसे औसि लेने के जलए उपय ग जकया िािा है वह उस वषय के जलए संगठन के व्यापार की मात्रा का कम से कम 3% ह ।
2. जवत्तीय सहायिा के जलए अय ग्य अबीमाकृि और बीमाकृि मरीज़ ं क ित्काल भुगिान पर छूट जमल सकिी है। ित्काल भुगिान पर छूट क ठीक जपछले पैराग्राफ में वजणयि अबीमाकृि के जलए छूट के अजिररि भी जदया िा सकिा है।

तवत्तीय िहधयिध के तलए योग्य मीज़ों के तलए प्रभधि पि िीमधएं

जवत्तीय सहायिा के जलए य ग्य मरीज़ ं से आपाि खथर्जि में और अन्य जचजकत्सकीय िौर पर आवश्यक देखभाल और अन्य जकसी जचजकत्सा देखभाल के जलए AGB से व्यखिगि रूप से जलए िाने शुल् से अजिक सकल प्रभार नहीं जलया िाएगा। संगठन "लुक-बैक" जवजि का इस्तेमाल करके और संगठन क दाव ं का भुगिान करने वाले Medicare सेवा-हेिु-शुल् और सभी जनिी स्वास्थ्य बीमाकिायओं क शाजमल करके एक या अजिक AGB की गणना 501(r) के अनुसार करिा है। AGB गणना का जववरण और प्रजिजशि(प्रजिजशि ं) की एक मुफ्त प्रजि संगठन की वेबसाइट से या अस्पिाल के जनम्न जवभाग ं या कायायलय ं से संपकय करके प्राप्त की िा सकिी है: ग्राहक सेवा, जवत्तीय परामशयदािा, केजशयर, कवर जकए गए प्रदािा का कायायलय।

तवत्तीय िहधयिध औ अन्य िहधयिध के तलए आवेदन किनध

एक मरीज़ जवत्तीय सहायिा के जलए प्रकखिि स्क ररंग य ग्यिा के माध्यम से या एक पूरा FAP आवेदन िमा करने से जवत्तीय सहायिा के जलए आवेदन करने से य ग्यिा प्राप्त कर सकिे हैं। FAP आवेदन और FAP आवेदन के जनदेश संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या इन्हें अस्पिाल के जनम्न में से जकसी भी जवभाग या कायायलय से संपकय करके प्राप्त जकया िा सकिा है: ग्राहक सेवा, जवत्तीय परामशयदाििा, केजशयर, कवर जकए
गए प्रदाििा का कायायलय। संगठन में अबीमाकृि व्यखि क जवत्तीय परामशयदाििाओं के सार् Medicaid या
अन्य सावयजिनक सहायिा कायय्रम के जलए आवेदन करने के जलए काम करना ह गा जिसके जलए मरीज़ जवत्तीय सहायिा हेिु संभाजवि रूप से पात्र माना िािा ह (प्रकखिि स्क ररंग के माध्यम से पात्र और अनुम जदि जनियररि ह ने के मामल क छ ड़कर)। मरीज़ क जवत्तीय सहायिा देने से मना जकया िा सकिा है यजद मरीज़ FAP आवेदन में या प्रकखिि स्क ररंग पात्रिा प्रजक्रया के संबंि में गलि िानकारी प्रदान करिा है, यजद मरीज़ बीमा राजश सौंपने या प्रदान की गई देखभाल के जलए भुगिान करने हेिु बाध्य बीमा कंपनी से सीिे भुगिान प्राप्त करने के अजिकार क नकारिा है, या यजद मरीज़ Medicaid या अन्य सावयजिनक सहायिा कायय्रम ं, जिसके जलए मरीज़ क जवत्तीय सहायिा के जलए य ग्य ह ने हेिु संभाजवि रूप से पात्र माना गया ह (प्रकखिि स्क ररंग के माध्यम से पात्र और अनुम जदि जनियररि ह ने के मामल क छ ड़कर), में आवेदन करने के जलए जवत्तीय परामशयदाििाओं के सार् काम करने से मना कर देिा है। संगठन देखभाल के वियमान मामले के जलए पात्रिा के संबंि में जनियरण करिे समय जकसी भी पात्रिा जनियरण जिजर् से छः माह से कम की अवजि से पहले पूणय जकए गए FAP आवेदन पर जवचार कर सकिा है। संगठन जकसी भी पात्रिा जनियरण जिजर् से छः माह से ज्यादा की अवजि में पूणय जकए गए FAP आवेदन पर जवचार नहीं करेगा।

तितलांग औ वृिली

भुगिान न करने की खथर्जि में संगठन द्वारा की िाने वाली कायय्वाही क एक अलग जबजलंग और वसूली नीजि में बिाया गया है। जबजलंग और वसूली नीजि की एक मुफ्त प्रजि संगठन की वेबसाइट पर या अस्पिाल के जनम्न में से जकसी भी जवभाग या कायायलय से संपकय करके प्राप्त की िा सकिी है: ग्राहक सेवा, जवत्तीय परामशयदाििा, केजशयर, कवर जकए गए प्रदाििा का कायायलय।

व्यधख्यध

जवशेष रूप से सूजचि मामल क छ ड़कर सभी प्रय ज्य प्रजक्रयाओं के सार् यह नीजि 501(r) के अनुसार अनुपालन हेिु अभीष्ट है और इसकी व्याख्या इस के अनुसार की िाएगी और यह नीजि इसीके अनुसार लागू की िाएगी।